राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषय : भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) वर्ष 2019–20 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) वर्ष 2019–20 राजस्थान विधानसभा में दिनांक 14–09–2021 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन की प्रतियाँ निदेशक, वित्त (बजट) विभाग के पत्र क्रमांक प–7(5)वित्त–1(1)आ.व्य./2021 दिनांक 17–09–2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। उक्त प्रतिवेदन महालेखाकार राजस्थान की वेबसाइट **agraj.cag.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (लेखापरीक्षा–ा) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हैं। पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति को जनलेखा समिति ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है और शासन को निर्देश दिये हैं कि भविष्य में उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः अनुरोध है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) वर्ष 2019–20 में समाविष्ट आपके विभाग/नियंत्रणाधीन विभागों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि 3 माह (दिनांक 13–12–2021 तक) में महालेखाकार (लेखापरीक्षा–ा) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को 25–25 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधान सभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा–ा) राजस्थान तथा दो प्रतियाँ वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि उक्त प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी करावें। प्रतिवेदन में दर्शायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लायी जानी अपेक्षित है।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा. टीप. क्रमांक :प.1(4) वित्त/अंकेक्षण/2021
जयपुर दिनांक : 27-09-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार(लेखापरीक्षा–ा /लेखापरीक्षा–ाा) राजस्थान, जयपुर ।
4. संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर अविलम्ब अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग एवं समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग, जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव